...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

...ण सख्या : 35/2017

जमनालाल पुत्र कैदार जाति मीना निवासी छत्रपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
...वादी

♠ बनाम ♠

1. गिरिराज पुत्र केदार जाति मीना
2. रेशु पुत्र गिरिराज जाति मीना
3. रामकिशन पुत्र सूरजमल जाति मीना निवासीगण छत्रपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां
....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री बुद्धि प्रकाश मालव

दायरा दिनांकः 16.06.2017

निर्णय दिनांक : 26.07.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम छत्रपुरा में खाता संख्या 73 खसरा नं0 243 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 244 रकबा 0.39 किता 2 रकबा 0.61 है0 आराजी स्थित है। वादी अपनी आराजी पर शान्ति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा था। प्रतिवादीगण वादी के खाते की भूमि खसरा नं0 243 रकबा 0.22 है0 पर कब्जा करने पर आमादा है। वाद कारण दिनांक 27.05.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी की आराजी को जबरदस्ती हांकने के लिए वादी के खेत पर चले जाने पर पैदा हुआ है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ग्राम छत्रपुरा की आराजी खसरा नं0 243 रकबा 0.22 है0 पर प्रतिवादीगण बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास न करें ना ही किसी प्रकार की दखलअंदाजी करें वादी की आराजी को यथा स्थिति बनायें रखें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 16.06.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। जिनकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। बावजूद सूचना प्रतिवादीगण 1 आज दिनांक तक न्यायालय में उपस्थित नही होने पर उसे एक्स पार्टी घोषित किया जाकर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 26.07.2018 को वकील वादी की बहस सुनी गयी। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया जो वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज व सुनी गयी बहस व वादी के वाद पत्र की

पर बाद वादी स्वीकार किया जाता है। चुकि प्रतिवादीगण वादी की आराजी ग्राम छत्रपुरा की खसरा नं0 243 रकबा 0.22 है0 में जबरदस्ती कब्जा करने में आमादा है। अतः प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेश दिया जाता है कि वादी की आराजी ग्राम छत्रपुरा की आराजी खसरा नं0 243 रकबा 0.22 है0 में किसी प्रकार की दखलअंदजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें व वादी को उक्त आराजी में शांती पूर्वक काश्त करने देवें व आराजी को यथा स्थिति बनावें रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को सरेइजलास मजमें आम में सुनाया गया।